

कार्यालय नगर निगम, पूर्णिया

फार्म - VIII "क"

(भवन परिषट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या- 8(4)

आवेदन संख्या CN- 610/23-24, दिनांक 26.12.23 के संदर्भ में
 श्रीमति/श्री विवेक कुमार (ट्रैम्पस्ट) मोहल्ला, मोहल्ला, जिला- पूर्णिया के लिए
 (क) ६२+। भवन के निर्माण
 (ख) भवन के मुनिर्माण
 (ग) भवन के परिवर्तन
 (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
 (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन



पूर्णिया नगर निगम, पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के स्लौट नं० ५९। (सी०एस०) स्लौट नं० (एम०एस०पी०) खाता संख्या ५८८, हेलिंग संख्या ८३२, ६४५, गाँव पूर्णिया, मोहल्ला गुण्डाचौड़ी वार्ड नं० ५५ के बावत निम्नलिखित शर्तों/नियमों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग आवासीय/व्यवसायिक के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया ३००.५७१ मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि २० मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आचारित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत/क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णिया नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/अयोजना क्षेत्र में १५ मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (ङ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच तर्फ़े की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपर्युक्त के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, छिंत की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) कोई अन्य शर्त।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णिया।